Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. V, Issue No. X, April-2013, ISSN 2230-7540

परमाणु निरस्त्रीकरण और भारत

Ravi Shankar Sarkar*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar

सार – ***भारत के स्वतंत्र होने के बहुत पहले भारतीय नेता शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पर बल देने लगे थे। 29 सितंबर 1946 को महात्मा गाँधी ने स्पष्ट रूप से कहा, मरे विचार से समस्त पुरूषों, महिलाओं और बच्चों के विनाश के लिए परमाणु बम का उपयोग करना विज्ञान का सबसे नृशंस उपयोग है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में सामान्य और पूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में आण्विक शस्त्रों की समाप्ति पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम 1948 में प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद निरंतर निरस्त्रीकरण संबंधी अनेक प्रस्ताव (अनेक ओर से या संयुक्त रूप से) भारत द्वारा रखे गये थे।***

----------X----------

भारत एक शांतिप्रिय देश है तथा उसकी विचारधारा एवं सांस्कृतिक सोच विध्वंसात्मक न होकर सृजनात्मक है, फिर भी उसने विध्वंसक परमाणु शस्त्र निर्माण परीक्षण क्यों किए यह एक विचारणीय प्रश्न है। स्वतंत्रता के समय से ही हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू संपूर्ण विश्व को शांति का उपदेश देते रहे तथा परंपरागत एवं गैर परंपरागत परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने अथवा इनका प्रसार रोकने हेतु लगातार प्रयास करते रहे, किंतु विश्व की महाशक्तियाँ अपने परंपरागत एवं गैर विरोधाभासी तथा असामनता पर आधारित एन0 पी0 टी0 एवं सी0 टी0 बी0 टी0 जैसे विश्वशांति के समर्थक देश ने परमाणु शस्त्र निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके बावजूद भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण के प्रति भारत आज भी प्रतिबद्ध हैं। भारत का यही भेदभाव रहित परमाणु निरस्त्रीकरण नीति को न्यायक परमाणु निषेध संधि कहा जाता है।[1]

उन दिनों विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन ही परमाणु सुविधा से युक्त देश थे। दक्षिण एशिया में चीन के साथ भारत के संबंधों में तनाव भले ही उभरने लगे थे, परंतु चीन परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बना था। पाकिस्तान जो भारत का प्रबल शत्रु था, के लिए यह दूर का विषय था। इस प्रकार भारत को परमाणु हमले का कोई खतरा नहीं था। साथ ही नव स्वतंत्र भारत उन दिनों अपने विकास के लिए ठोस आधार तैयार कर रहा था। इसके लिए वह विकसित देशों के आर्थिक सहयोग पर निर्भर था। नेहरू भारत को अपने दाताओं द्वारा परमाणु दुस्साहसिकता के लिए दंडित नहीं होने देना चाहते थे। परंतु 1962 में चीन से भारत की अपमानजनक पराजय के बाद पूरे देश में यह अनुभव किया जाने लगा कि यदि भारत के पास परमाणु बम हेता तो चीन भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करता। सैन्य विशेषज्ञ सुझाव भी देने लगे कि दैत्याकार पारंपरिक सेना के रख-रखाव से अधिक सुविधापूर्ण विस्फोट कर लिये जाने के बाद यह पूरी तरह तय हो गया कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा निरापद नहीं हैं 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय यह बात और पक्की हो गई नेहरू के उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री के काल में भारत की परमाणु नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया, हालांकि कुछ विद्वानों का मत है कि परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग के पक्षधर थे।[2]

परमाणु नीति के मुद्दे पर भारत का परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों से भारी मतभेद बना हुआ है। भारत परमाणु अप्रसार-संधि को भेदभाव मूलक मानते हुये अस्वीकार करता रहा है। जबकि अमेरिका आदि पश्चिमी देश भारत पर इसे अपनाने के लिये लगातार दबाव दे रहे हैं। सैद्धांतिक रूप में उपर्युक्त संन्धि का उद्येश्य परमाणु अस्त्रों के विस्तार को रोकना है। लेकिन इसके आर्विभाव तथा क्रियाकलापों के इतिहास से यह स्पष्ट होता हैं कि इसमें अमेरिका तथा तत्कालीन सोवियत संघ का उद्येश्य रहा है कि अन्य देशों को परमाणु अस्त्र सम्पन्न बनने से रोका जाये तथा इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाये रखने का प्रयास किया जाये।[3]

परमाणु शस्त्र बनाने का कार्य अगस्त 2, 1939 में प्रारंभ हुआ। 1945 में इसमें सफलता मिली, इस पर दो अरब डॉलर खर्च हुआ, इस विस्फोट का प्रभाव इतना था कि विस्फोट के समय 2

www.ignited.in

मील के भीतर तक इसकी रोशनी को एक अंधी बच्ची ने भी देखा अर्थात, 1945 में हिरोसिमा एवं नागासाकी के विध्वंस के बाद से ही परमाणु अस्त्रों का विकास के समानान्तर इसके प्रसार को रोकने की मांग की जाने लगी थी। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात पर विचार होने लगा था कि आखिर वह कौन-सी व्यवस्था हो सकती हैं जो इस विध्वंसकारी अस्त्रों के विस्तार को रोक रखें।

इस दिशा में सबसे पहले ठोस कदम था परमाणु परीक्षणों पर आंशिक प्रतिबंध संबंधी समझौता। अमेरिका, सोवियत संघ एवं इंगलैण्ड द्वारा कियेगये इस समझौते में अन्तरिक्ष, समुद्र तल, वायुमण्डल एवं जल के अन्दर परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगायी थी। फ्रांसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये, चीन इसका विरोधी था और भारत सकरार इन संधि करने वाले राष्ट्रों में अग्रणी था। स्वाभाविक रूप से इससे आशंकित देशों ने परमाणु अस्त्रों के विकास तथा विस्तार को रोकने के लिये अधिक ठोस कदम उठाने की मांग तेज कर दी। जून, 1965 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के निरस्त्रीकरण आयोग के समक्ष यह मांग उठी कि अमेरिका एवं सावियत संघ सहित अन्य परमाणु अस्त्र सम्पन्न देश परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में एक समग्र नीति अपनायें। निरस्त्रीकरण आयोग ने एक प्रस्ताव पारित कर 18 देशों के निरस्त्रीकरण सम्मेलन (सन् 1962 में जेनेवा में यह सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें फ्रांस को छोड़कर सभी महत्वपूर्णशक्तियां उपस्थित थीं। इसे 18 देशों का निरस्त्रीकरण सम्मेलन या ई0 एन0 डी0 सी0 के नाम से जाना जाता है।) से मांग की कि वे मिलकर परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने पर विचार करें। निरस्त्रीकरण सम्मेलन में हुये विचार-विमर्श के बाद अमेरिका ने 17 अगस्त 1965 को तथा सोवियत संघ ने 24 सितम्बर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के समक्ष परमाणु अप्रसार संधि का मसवदा प्रस्तुत किया।[4] लेकिन स्वयं दोनों को ही एक दूसरे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं था। इसके बाद 24 अगस्त, 1967 को दोनों ने निरस्त्रीकरण सम्मेलन के समक्ष अपना-अपना मसवदा प्रस्तुत किया। जिसे परमाणु अस्त्र-विहीन देशों ने अस्वीकृत कर दिया। वास्तव में दोनों देश न तो अपना परमाणु प्रभुत्व कम करना चाहते थे और न अप्रसार संधि को निरस्त्रीकरण की नीति से ही जोड़ना चाहते थे। इसलिए अन्य देशों की अपेक्षाओं पर ये मसवदे खरें नहीं उतर सके।[5]

जेनेवाअन्तराष्ट्रीय संधि में अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किये थे लेकिन जब अन्य कई देश भी ऐसे शस्त्र प्राप्त करने और बनाने लगा तो औद्योगिक देशों को चिंता होने लगी तो 1993 में पेरिस सम्मेलन में इन हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध और इन्हें नष्ट करने पर महाशक्तियां सहमत हो गयी। जैविक अस्त्रों के पूर्ण उन्मूलन के बारे में भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हो चुके हैं, यद्यपि जैव तकनीकी क्षेत्र में हो रहे नये अनुसंधानों के कारण इन समझौतों की समीक्षा की आवश्यकता अनुभव की जा रही है, लेकिन इन जैविक अस्त्रों के परीक्षण, प्रयोग और प्राप्त या उनके प्रयोग की धमकी को सहन नहीं किया जाता। रेडियोधर्मी अस्त्रों को नष्ट करने पर भी विश्व स्तर पर बहसें हुई हैं, लेकिन अभी तक किसी देश ने इनका प्रयोग करने की धमकी नहीं दी है इसलिए इस दिशा में अधिक प्रगति नहीं हुई। इन सभी प्रकार के अस्त्रों पर प्रतिबन्ध के लिये जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियां हुई उन पर किसी देश से असहमति व्यक्त नहीं की। उन पर किसी कारण से आपत्ति नहीं की गुई। लेकिन आण्विक अप्रसार संधि अनेक प्रकार के विवादों और भेदभाव के आरोपों से घिरी रही है।[6]

1970 में जब आण्विक अप्रसार संधि हुई थी। तब विश्व की दो महाशक्तियों-अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच सीत युद्ध अपनी चरम स्थिति पर था। एक-दूसरे से आण्विक आक्रमण की आशंका से सदा भयभीत इन देशों ने परस्पर प्रभाव सीमित करने के लिये आण्विक अप्रसार संधि का प्रस्ताव रखा था। अमेरिका और सोवियत संघ के अतिरिक्त सुरक्षा-परिषद् के अन्य स्थायी सदस्यों फ्रांस और ब्रिटेन तथा बाद में चीन को भी इस संधि में यह अधिकार दिया गया कि वे अपने पास आण्विक शक्तियां रख सकते हैं, किन्तु संसार के अन्य देशो ंको, जिनके पास ऐसे अस्त्र नहीं थे, इन्हें प्राप्त करने या उसका प्रयास करने से भी रोक दिया गया।7

भारत को एन0 टी0 पी0 के संदर्भ में गंभीर आपत्तियां थी क्योंकि इसमें निःशस्त्रीकरण तथा परमाणु हथियारों के निर्माण को रोकने के बीच कोई संबंध नहीं था। संधि के अनु0 1 में परमाणु हथियार सम्पन्न देशों के द्वारा परमाणु हथियारों में वृद्धि को प्रोत्साहन तथा वैध करार दिया गया है। संधि में परमाणु निःशस्त्रीकरण के संदर्भ में कोई भी बात नहीं कही गयी है। पिछले वर्षों में इस संधि के उद्येश्यों के विपरीत दिशा में ही प्रगति हुई है। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि 24 अगस्त, 1967 के पूर्व तक जो परमाणु विस्फोट करने वाले देश थे केवल वही परमाणु अस्त्र सम्पन्न देशा माने जायेगें। भारत इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि सन् 1967 की अवस्था में लौटते ही उसका विकल्प खुला रखने का अवसर समाप्त हो जायेगा। फिर भी विश्व के लगभग सभी देश इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। यही एक बड़ा बल इस संधि के साथ है।

संदर्भ सूचीः-

1. कामथ, पी0 एम0 (1999): इंडियनल न्यूक्लियर पॉलिसी फ्रॉम आइडियालिज्म टू रीयलिज्म, प्रिन्टवेल पब्लिसर्स, जयपुर, पृ-48-54।

2. कृष्णानंद शुक्ल (2008): विश्व का परमाणु संकट और भारत की परमाणु नीति, राधा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 65-73।

3. चौधरी, जी डब्ल्यू, (1982) इन वल्ड अफेयर्स: द फॉरेन पॉलिसी ऑफ़ चाइना सिंस 1970 (कोलार्दो) पृ0-85-93।

4. जैन, पुष्पेश पंत (2020) इन्डोज फॉरेन पॉलिसी इन ए चेन्जिंग वल्ड, साउथ एशिया पब्लिसर्स, नई दिल्ली, पृ0-18-26।

5. प्रसाद, सुकदेव (2002): भारत एवं शेष नाभिकीय विश्व, साहित्य भंडार, इलाहाबाद, पृ-73-78।

6. गुप्ता, पी0 राम0 (1985): न्यूक्लियर डिसअर्मामेंअ, प्रकाश बुक डिपोट, बरेली, पृ0- 36-42।

7. कुमार, अशोक (1976): इंडियाज न्यूक्लियर ऑप्शन: एटोमिक डिप्लोमेशी एण्ड डिसिजन मेकिंग, न्यूयार्क, पृ0-112-118।

Corresponding Author

Ravi Shankar Sarkar*

Research Scholar, Department of Political Science, Lalit Narayan Mithila University, Kameshwaranagar, Darbhanga, Bihar